निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 901) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना
10 जुलाई 2026

सं0 प्र01/आयोग अध्यक्ष चयन–03/2015—09—विद्युत अधिनियम, 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा–82 की उप धारा (5) एवं धारा–85 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्री मनोज कुमार** को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89 के प्रावधानों के अंतर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, तक **सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है।**

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त्त) नियमावली, 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त्त को विहित किया है। इस सेवाशर्त्त के अनुसार सदस्य के पद के लिए **श्री मनोज कुमार** को पेंशन की सकल रकम के साथ–साथ उसमें किसी सारांशिकृत अंश, यदि पहले से प्राप्त कर रहे हों, की कटौती के अध्यधीन प्रति माह रूपया 1,82,200/–(एक लाख बेरासी हजार दो सौ) रूपये वेतन देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 901-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in